रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2009/ज्येष्ठ 11, 1931
No. 320] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2009/JYAISTHA 11, 1931

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2009

सा.का.नि. 376(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्थिक सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 5 में, "वेतनमान" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "वेतन समूह + श्रेणी वेतन/वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों में,-

(क) अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 4 में, "रू. 26000 (नियत)", "22,400-525-24,500रू.", "18,400-500-22,400 रू.", "रू. 14,300-400-18,300", "रू. 12,000-375-16,500", "रू. 10,000-325-15,200" और "रू. 8000-275-13,500" शब्द, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः "80,000 रू. (नियत)", "वेतन समूह-4 : 37,400-67,000रू. धन श्रेणी वेतन : 12,000 रू.", "वेतन समूह-4 : 37,400-67,000रू. धन श्रेणी वेतन : 10,000 रू.", "वेतन समूह-4 : 37,400-67,000रू. धन श्रेणी वेतन : 8,700 रू.", "वेतन समूह-3 : 15,600-39,100 धन श्रेणी वेतन : 7,600 रू.", "वेतन समूह-3 : 15,600-39,100 धन श्रेणी वेतन : 6,600 रू." और "वेतन समूह-3 : 15,600-39,100 धन श्रेणी वेतन : 5,400 रू." शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) 2008 में यथासंशोधित अनुसूची 1 में, "टिप्पण" शब्द को उसके "टिप्पण (1)" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार यथासंख्यांकित टिप्पण (1) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) जब कभी राज्य या संयुक्त काडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को केन्द्र में वेतन समूह-3 या वेतन समूह 4 में विशिष्ट श्रेणी वेतन वाली किसी विशेष श्रेणी में तैनात किया जाता है तो सेवा के बैचों के ऐसे अधिकारियों को, जो दो वर्ष से या अधिक ज्येष्ठ हैं और जिन्हें उस विशेष श्रेणी में अभी तक प्रोन्नत नहीं

किया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की केन्द्र में उस विशेष श्रेणी में तैनाती की तारीख से अकृतिक आधार पर समान श्रेणी दी जाएगी ;"

(ग) अनुसूची 2 में, टिप्पण (3) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (4) जब कभी राज्य या संयुक्त काडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को केन्द्र में वेतन समूह 3 या वेतन समूह 4 में विशिष्ट श्रेणी वेतन वाली किसी विशेष श्रेणी में तैनात किया जाता है तो सेवा के बेचों के ऐसे अधिकारियों को, जो दो वर्ष से या अधिक ज्येष्ठ हैं और जिन्हें अभी तक उस विशेष श्रेणी में प्रोन्नत नहीं किया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की केन्द्र में उस विशेष श्रेणी में तैनाती की तारीख से अकृतिक आधार पर समान श्रेणी दी जाएगी ।"

[फा. सं. 11011/1/2003-आईईएस]

राजन कुमार, निदेशक

टिप्पण : भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 435(अ), तारीख 6 जून, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 648(अ), तारीख 10 सितंबर, 2008, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 753(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2008 और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.350(अ), तारीख 22 मई, 2009 द्वारा उन्हें संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2009

G.S.R. 376(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 2008, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Economic Service (Second Amendment) Rules, 2009.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Economic Service Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, for the words "pay scales", or "scales of pay" wherever they occur, the following shall be substituted, namely:--
   "Pay Band + Grade Pay/ Pay Scale".

3. In the said rules,--

   (a) in Schedules-I, II and IV, for the letters, figures, brackets and words "Rs. 26,000 (fixed)", "Rs. 22,400-525-24,500", "Rs. 18,400-500-22,400", "Rs. 14,300-400-18,300", "Rs. 12,000-375-16,500", "Rs. 10,000-325-15,200", and "Rs. 8,000-275-13,500", wherever they occur, the letters, figures, brackets and words "Rs. 80,000 (fixed)", "Pay Band-4: Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay: Rs. 12,000", "Pay Band-4: Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay: Rs. 10,000", "Pay Band-4: Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay: Rs. 8,700", "Pay Band-3: Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay: Rs. 7,600", "Pay Band-3: Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay: Rs. 6,600", and "Pay Band-3: Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay: Rs. 5,400", shall respectively be substituted;

(b) in Schedule I, as amended in 2008, the word "Note" shall be numbered as Note (1) thereof and after Note (1) as so numbered, the following Note shall be inserted, namely,-

"(2) Whenever an Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in Pay Band 3 or Pay Band 4, the officers belonging to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officer in that particular grade at the Centre";

(c) in Schedule II, after Note (3), the following Note shall be inserted, namely,-

"(4) Whenever an Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in Pay Band 3 or Pay Band 4, the officers belonging to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officer in that particular grade at the Centre."

[F. No. 11011/1/2003-IES]
RAJAN KUMAR, Director

Note : The Indian Economic Service Rules, 2008 were published in the Gazette of India, vide, notification number G.S.R. 435 (E), dated the 6th June, 2008 and subsequently amended, vide, notification number G.S.R. 648 (E), dated the 10th September, 2008, notification number G.S.R. 753 (E), dated the 24th October, 2008, and notification number G.S.R. 350 (E), dated the 22nd May, 2009.